


9  
2022

पत्रावली आज वारते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणों के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लागी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम हरजनपुरा स्थित खसरा नंबर 49 रकबा 2.11 हैक्टे. प्रार्थीयागण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीयागण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।


  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

### आदेश

प्रा० पत्र० 174 / 2019  
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम हरजनपुरा स्थित खसरा नंबर 49 रकबा 2.11 हैक्टे. की प्रार्थीयागण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 21.07.2018 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (स्वीकार)